न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./15/2026/बाड़मेर

अपीलांट्स	बनाम रेस्पोडेंट्स
1. किशनाराम पुत्र धीराराम 2. पनीदेवी पत्नी धीराराम 3. प्रभूराम पुत्र धीराराम 4. पीराराम पुत्र धीराराम, जातियान जाट, निवासी रडू चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।	1. धनी देवी पत्नी सोनाराम, जाति जाट, निवासी रडू, पटवार मण्डल चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। **तकमीली रेस्पों.–** 2. प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा रामजी का गोल। 3. तहसीलदार, धोरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2025 बउनवान धनीदेवी बनाम किशनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–27.05.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 की खातेदारी आराजी जो खसरा संख्या 87/46 रकबा 1.9020 हेक्टेयर वाके ग्राम रडू, पटवार मण्डल चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना आयी हुई है जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन निवेदन किया कि हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 44 रकबा 8.7088 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे अपीलांट के हितों का कुठारघात हुआ है। जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 व 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रफोर्मा पक्षकार (तकमीली रेस्पों. संख्या 01 व 02) होने से अपीलांट द्वारा उक्त के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 की खातेदारी आराजी जो खसरा संख्या 87/46 रकबा 1.9020 हेक्टेयर वाके ग्राम रड़ू, पटवार मण्डल चैनपुरा, तहसील धोरीमन्ना आयी हुई है जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन निवेदन किया कि हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 44 रकबा 8.7088 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू अ/2025/2362 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की, जिसकों आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा आपत्ति दर्ज करवाते हुए मौका रिपोर्ट वास्तविक मौका अनुसार पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया जिसमे प्रार्थी के रास्ते बाबत अन्य रिकाडेर्ड रास्ते के विकल्प होते हुए भी गलत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी अनुसार खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिका आवश्यकता भी गलत दर्ज की है। साथ ही गौरतलब तथ्य यह भी है कि लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव सही तरीके से मनन नहीं कर महज प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्णित अनुसार सही मान कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अविधिक, गलत व मनमाना स्वेच्छाचारी रह जाता है। इस आधार पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कायम रखे जाने योग्य कतई नहीं रह जाता है। जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 87/46 मौजा रड़ू मे आने जाने हेतु रास्ता विद्यमान है प्रार्थीया ने विप्रार्थीगण के खेत मे से रास्ता गलत मांग किया है इस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं कर गलत, अविधिक तोर से आक्षेपित आदेश पारित किया है जो हर सूरत में कायम रखे जाने योग्य नही है। साथ ही महत्वपूर्ण एवं गौरतलब तथ्य यह भी है कि प्रार्थीया ने अपने खातेदारी खसरा नम्बर 87/46 रकबा 1.9020 हेक्टेयर से सडक मार्ग पहुचने तक ग्राम रडू के खसरा संख्या 544 रकबा 8.7088 हैक्टेयर में से रास्ते की माग की जिसके संबंध मे मौका निरीक्षण करने पर दो विकल्प पाये गये प्रथम प्रार्थीनी एवं सह खातदारान ने ग्राम रडू के मूल खसरा संख्या 46 का आपसी सहमति से भूमि विभाजन करते समय अपने अपने खसरो में आवागमन हेतु संयुक्त भूमि रास्ते के लिए छोडी गई जिसका खसरा संख्या 92/46 रकबा 0.1695 हेक्टर है जो नहर की भूमि तक जाता है। यह रास्ता प्रार्थीया एवं इनके पति के खसरा संख्या 87/46, 83/46 को जोडता है, द्वितीय ग्राम रडू के खसरा नं 42 गै. मु. रास्ता से खसरा संख्या 44 रकबा 8. 7088 से होकर प्रार्थी के खसरा संख्या 87/46 मे पहुंचा जा सकता है। इन तथ्यो पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान पूर्वक मनन, अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है

उक्तनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही पूर्व में तलब मौका रिपोट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी। किन्तु उक्त तथ्यों के विपरीत प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्तानुसार बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। न्यायालय की न्यायिक मंशा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपरिथिति में बहस सुनने के बाद पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए हस्तगत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिये अपीलांट की मौका रिपोर्ट के सबंध में उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251- ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली एवं वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मय दस्तावेजात का ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कर विधि अनुसार आपत्ति का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2025 बउनवान धनीदेवी बनाम किशनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रशासनिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर